



फॉर्म III { विनियम 7 (1) D (d) देखें }
Form III { see Regulation 7 (1) D (d) }

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/ओएचएसएमएस/एल -8000060.3

Licence No. CRO/OHSMS/L-8000060.3

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो

By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the Bureau hereby grants/renews to

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड,
रावतभाटा राजस्थान साइट,
आर आर साइट 1 से 6,
पोस्ट आफिस - अनुशक्ति
वाया कोटा - 323 303 (राज)

Nuclear Power Corporation of India Limited,
Rawatbhata Rajasthan Site,
RR Site 1 to 6,
P.O. Anushakti
Via Kota - 323 303 (Raj)

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी संख्या से सूची बद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान/नवीकरण करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, IS 18001:2007 के अनुरूप व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताएं गए पते (पतों) पर निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Occupational Health & Safety Management Systems Certification in respect of the products and/or services of process particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (as) given above, and under the Occupational Health & Safety Management Systems Certification in accordance with

IS 18001:2007

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबंध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत नवीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद् द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted/renewed subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 04 अप्रैल 2015 से 03 अप्रैल 2018 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा

This licence shall be valid from 04 April 2015 to 03 April 2018 and may be renewed as prescribed in the Regulations.

2015 के जून माह के दूसरे दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित

Signed, Sealed and dated this Second day of June 2015

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS